

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/106/2021/1093

दिनांक: 29/11/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय :** जनपद – चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निर्माण हेतु 2.015 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/45577/2020)

**सन्दर्भ:** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1014/FP/UK/Road/45577/2020 दिनांक 18-10-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

- 1- As per DSS analysis, 4 ha area found in MDF proposed in civil and soyam land. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted. State Government may submit the details of the area selected for afforestation of balance seedlings which cannot be planted in the civil soyam land identified for raising compensatory afforestation.
2. Land Schedule not found uploaded online. State Govt. may upload the Land Schedule in online portal.
3. As per district profile details at para 14, CA stipulated 3091 ha is not commensurate to the forest land diverted. Logically, the CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be clarified suitably.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(टी० सी० नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)